परेश पी. राजदा

बनाम

महाराष्ट्र राज्य व अन्य

(2008 की आपराधिक अपील नं. 921)

16 मई 2008

(तरूण चटर्जी और हरजीत सिंह बेदी, जे. जे.)

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, धारा 138 और 141:

चेक का अनादरण- आरोपी को समन करने का नोटिस- आरोपी ने उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को रद्द करने के लिए आवेदन दायर करते हुए कहा कि समन के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। शिकायत में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया- उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट को आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया- आवेदन मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज कर दिया गया- आरोपी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक और आवेदन दायर किया- उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए गए थे- की शुद्धता - अभिनिर्धारित; किसी कंपनी के निदेशक/अध्यक्ष का उत्तरदायित्व शिकायत में किए गये कथनों की प्रकृति की जांच करने और यह देखने के बाद ही तय किया जा सकता है कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए गए थे या नहीं - शिकायत में किए गए कथनों के अवलोकन से पता चलेगा कि आरोपी के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए गऐ हैं कि वे कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी थे। इसके अलावा मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इसलिए, यह होगा कि कार्यवाही को रद्द करने के बारे में कोई आदेश पारित करना अनुचित होगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973-धारा, 395।

व्यापारिक लेन देन के संबंध में आरोपी अपीलकर्ता ने एक कंपनी के पक्ष में निश्चित राशि के लिए दो चेक जारी किये थे। चूॅकि चेक कुछ टिप्पणीयों के साथ बैंक

द्वारा अनादरित हो गये थे, इसलिए संबंधित अपील में आरोपी नं. 1, कंपनी, आरोपी नं. 2 अपीलकर्ता, कंपनी के अध्यक्ष और आरोपी नं. 4, संबंधित अपील के अपीलकर्ता , कंपनी के निदेशक को नोटिस जारी किया गया था। आरोपीगण के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद ही वे न्यायालय में पेश हुए। आरोपी अपीलार्थी ने एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ समन का मामला नहीं बनाया गया था क्योंकि अनादरित चैक जारी करने के संबंध में कोई स्पष्ट कार्य उसके लिए जिम्मेदार नहीं था। मजिस्ट्रेट ने यह अभिनिर्धारित करते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि धारा 395 सीआरपीसी की प्रक्रिया के तहत पहले ही जारी की जा चुकी थी। उच्च न्यायालय ने माना कि आरोपी कंपनी के एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते उनके खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए गए थे और इसलिए कंपनी और वह समान रूप से उत्तरदायी थें इसलिए, वर्तमान अपील करता है।

अभियुक्त अपीलार्थियाेंं ने तर्क दिया कि कोई आरोप नहीं लगाया गया था। जो भी कुछ उसके खिलाफ किया गया था वह एक यांत्रिक तरीके से फंसाया गया था केवल इसलिए कि वह कंपनी का अध्यक्ष/निदेशक था। यदि किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया था तो प्रत्येक व्यक्ति जो जिस समय अपराध किया गया था, वह प्रभारी था, और संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था को दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और क्योंकि इस मामले में ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया था तो उसके खिलाफ तामील जारी करना न्यायसंगत नहीं था।

प्रतिवादी/उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि यह इस चरण मे संभव नहीं था और बिना किसी सबूत के किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपीलार्थी के दायित्व के लिए और इसलिए यह उचित था कि मामले को सुनवाई के लिए छोड दिया जाए, जैसा कि उच्च न्यायालय ने देखा था। उच्च न्यायालय द्वारा यह आरोप कि वास्तव में, अभियुक्त कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी थे और इसकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का संचालन भी

कर रहे थे, शिकायत में विशेष रूप से कहा गया था कि यह दिखाने के लिए सामग्री को रिकाॅर्ड पर रखा गया था कि कंपनी और उसके अधिकारियों ने अन्य कई संगठनों के को भी चेक जारी किये थे जो अनादरित हुए थे और वह बडी धनराशि कंपनी के खाते में बकाया रही। वे आदतन अपराधी होने के कारण किसी राहत के हकदार नहीं थे।

याचिका खरिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि

1. एस.एम.एस फार्मास्यूटिकल्स बनाम गीता भल्ला, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 के दायरे और दायरे कंपनी के मामलों के लिए जिम्मेदार निदेशकों और अन्य व्यक्तियों के संबंध में बनाई गयी देनदारी की जांच की। चूॅंकि यह मामला तीन न्यायाधीशों वाली बेंच के समक्ष एक संदर्भ पर आया था, इसलिए बेंच ने तथ्यों पर चर्चा के लिए मामले को दो न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया। मामले की फिर से बेंच द्वारा जांच की गयी और यह पाया कि शिकायत में आवश्यक दावे किए गये थे ताकि अधिनियम की धारा 141 के प्रावधानों को आकर्षित किया जा सके। यह मामला फिर से एन.के. वाही बनाम शेखर सिंह व अन्य के मामले में विचार के लिए आया। जिसने पहले के दृष्टिकोण को दोहराया और कहा कि जहां शिकायत में निदेशकों द्वारा निभाई गई भूमिका के संबंध में कोई स्पष्ट कथन या सबूत नहीं थे और क्या वे संचालन के लिए, उनके खिलाफ अभियोजन चलाना संभव नहीं होगा और वे बरी होने के हकदार थे। उपरोक्त उद्धृत निर्णयों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि पूरा मामला शिकायत में दिए गए कथनों की प्रकृति की जांच तक सीमित हो जाएगा। (पैरा 5,6 ,7 और 8)(1198 -डी व ई; 1199-सी, डी व ई,

एस.एम.एस फार्मास्यूटिकल्स बनाम नीता भल्ला एवं अन्य (2005) 8 एस.सी.सी. 89; एस.एम.एस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भल्ला एवं

अन्य(2007) 4 एससीसी 70 एवं एन.के. वाही बनाम शेखर सिंह एवं अन्य(2007) 9 एस.सी.सी 481- पर भरोसा किया गया।

2. शिकायत के पैराग्राफ '5' और '8' के अवलोकन से पता चलता है कि आरोपी नंबर 2 कंपनी का अध्यक्ष है, और उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले के अनुसार, कंपनी के व्यवसाय के लिए उसकी जिम्मेदारी के प्रश्न को चुनौती नहीं दी गयी है।फिर भी, अदालत ने दोनों के खिलाफ स्पष्ट आरोप अभियुक्त/अपीलार्थी इस आशय से कि वे पदाधिकारी थे- वे कंपनी के मामलों केे लिए जिम्मेदार हैं। इस न्यायालय की राय है कि ऐसे चरण में जहां मुकदमा अभी टिप्पणियों के आलोक में हैं उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करना अनुचित होगा। (पैरा 9)(1200-डी व ई,

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील 2008 की संख्या 921

उच्च न्यायालय बाॅम्बे के क्रिमिनल आवेदन क्रमांक 5311/2004 में निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 20.12.2005 से

भास्कर पी. गुप्ता, प्रदीप घोष, जी.एस. चटर्जी, राजा चटर्जी व सचिन दास अपीलकर्ता की ओर से।

प्रत्यार्थियों की ओर से अमर दवे, नंदिनी गोरे और रवीन्द्र केशवराव।

न्यायालय का फैसला हरजीत सिंह बेदी, जे. द्वारा पारित किया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह निर्णय 2006 की एसएलपी (सीआरएल.) संख्या 3074 और 3075 से उत्पन्न आपराधिक अपीलों का निस्तारण करेगा। तथ्य 2006 की एसएलपी (सीआरएल.) संख्या 3074 के रिकाॅर्ड से लिए गये हैं। वे इस प्रकार हैंः

3. टाटा फाइनेंस लिमिटेड जिसका आरोपी के साथ वाणिज्यिक लेनदेन था, ने पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 138 के तहत एक शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी ने 25

नवंबर 2001 व 18 दिसंबर 2001 को दो चेक जारी किए थे, प्रत्येक को एक लाख रूपये के लिए जिसे 20 दिसंबर 2001 को ''व्यवस्था से अधिक'' टिप्पणी के साथ अनादरित किया गया था। आरोपी नंबर 1 यानी कंपनी को नोटिस जारी किया गया, जिसमें आरोपी नंबर 2 परेश पी. राजदा, चेयरमैन और आरोपी नंबर 4 विजय श्राॅफ, कंपनी के एक निदेशक भी शामिल हैं। ये सब अनिच्छा से अदालत में दिखाई दिये जब जमानती वारंट जारी कर दिये गये थे। इसके बाद आरोपी परेश राजदा ने एक आवेदन किया कि शिकायत में दिए गए कथनों के अनुसार उसे बुलाने का कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि अनादरित चेक जारी करने के संबंध में कोई प्रत्यक्ष कार्य के लिए वह जिम्मेदार नहीं था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 9 जून 2004 द्वारा निर्देश दिया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1974 की धारा 395 के तहत आवेदन, जो पहले ही मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जा चुका था, पर पहले निर्णय लिया जाए। हालांकि मजिस्ट्रेट ने 18 अक्टूबर 2004 को यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि इस मामले में उनका कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, क्योंकि संहिता की धारा 395 के तहत तामील पहले ही जारी की जा चुकी है। ऐसे में आरोपी ने एक बार फिर उच्च न्यायालय का रूख किया, उच्च न्ययालय ने 20 दिसंबर 2005 के अपने आदेश में कहा कि यह तर्क कि आरोपी को केवल इसलिए इस तरह रखा गया था क्योकि वह कंपनी का निदेशक था, गलत था क्योंकि शिकायत को समग्र रूप से पढने से पता चलता है कि उसके खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए गए थे। क्योंकि और यदि आरोपी कंपनी का एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते और समान रूप से उत्तरदायी है। अंततः यह पाया गया कि आरोपी की वास्तव में कोई भूमिका नहीं थी, तो वह बरी होने का हकदार होगा। तदनुसार याचिका खारिज की दी गई। इसी पृष्ठभूमि में वर्तमान अपील हमारे सामने है।

4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि शिकायत के अवलोकन से पता चलेगा कि आरोपी के खिलाफ कोई भी आरोप नहीं लगाया गया था और उसे यांत्रिक तरीके से व्यूह में रखा गया था, केवल इसलिए कि वह निदेशक था। उन्होने विशेष रूप से, हमे अधिनियम की धारा 141 के प्रावधानों का उल्लेख किया है कि यदि किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के समय प्रभारी था और कंपनी के संचालन के लिए जिम्मेदार था, को दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और चूंकि शिकायत में ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है, इसलिए उसके खिलाफ तामील जारी किया जाना उचित नहीं था। आरोप उचित नहीं था, इस तर्क के समर्थन में उन्होंने एस.एम.एस फार्मास्यूटिकल्स बनाम नीता भल्ला एवं अन्य(2005)8 एस.सी.सी. 89 एवं एन.के. वाही बनाम शेखर सिंह एवं अन्य(2007) 9 एस.सी.सी 481- को पटल पर रखा। हालांकि उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि इस स्तर पर और सबूत के बिना अपीलकर्ता के दायित्व के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुचना संभव नहीं है और इसलिए, यह उचित है कि मामले को सुनवाई के लिए छोड दिया जाना चाहिए, जैसा कि उच्च न्यायालय ने पर्यवेक्षण किया था। विद्वान वकील ने हमारा ध्यान शिकायत के पैराग्राफ 2 और 8 की ओर भी आकर्षित किया है कि यह आरोप कि आरोपी कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी थे और इसकी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का संचालन भी कर रहे थे, संबंधी आरोप विशेष रूप से है। यह भी बताया गया है कि यह दिखाने के लिए बहुत सारी सामग्री रिकाॅर्ड मे रखी गयी थी कि आरोपी कंपनी और उसके अधिकारियों ने अन्य संगठनों को भी कई चेक जारी किये थे, जो भी अनादरित हो गए थे और उस खाते पर कंपनी की बडी रकम बकाया थी। अतः वे आदतन अपराधी होने के कारण किसी भी राहत के हकदार नहीं थे। विद्वान वकील ने एस.एम.एस. फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भल्ला और अन्य पर भरोसा किया है। (2007) 4 एससीसी 70, एवरेस्ट एडवरटाइजिंग

(पी) लिमिटेड बनाम राज्य, एनसीटी दिल्ली सरकार और अन्य। (2007) 5 एससीसी 108 अपनी दलीलो के समर्थन में।

5. हमने विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णयों का अध्ययन किया है एस.एम.एस फार्मास्यूटिकल्स मेंे ((2005) 8 एससीसी 89,। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अधिनियम की धारा 141 के दायरे और कंपनी के मामलों के लिए जिम्मेदार निदेशकों और अन्य व्यक्तियों के संबंध में बनाई गई देनदारी की जांच की। तीन प्रश्न पूछे गएः

> "(1) क्या परक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 141 के प्रयोजनों के लिए, यह पर्याप्त है यदि आरोप का सार समग्र रूप से उक्त धारा की आवश्यकताओं को पूरा करता है और शिकायत में विशेष रूप से यह बताना आवश्यक नहीं है कि आरोपनी व्यक्ति कंपनी के व्यवसाय के संचालन का प्रभारी या जिम्मेदार था।
>
> (2) क्या किसी कंपनी के निदेशक को कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी और जिम्मेदार समझकर अपराध के लिए दोषी माना जाएगा जब तक कि वह इसके विपरीत साबित न हो जाए।
>
> (3) भले ही यह माना जाए कि विशिष्ट कथन आवश्यक है, चाहे ऐसे कथनों के अभाव में चेक के हस्ताक्षरकर्ता और या प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक, जो माना जाता है कि कंपनी के प्रभारी होंगे और कंपनी के लिए जिम्मेदार होंगे इसके व्यवसाय के आचरण के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।''
>
> उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखित शब्दों में दिया गयाः

(1) धारा 141 के तहत शिकायत में विशेष रूप से यह कहना आवश्यक है कि जिस समय अपराध किया गया था, आरोपी व्यक्ति कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार था। यह कथन धारा 141 की एक अनिवार्य आवश्यकता है और इसे शिकायत में दर्ज किया जाना चाहिए। किसी शिकायत मे यह दावा किए बिना, धारा 141 की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कहा जा सकता।

(2) उप-पैरा (बी) में पूछे गऐ प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। केवल किसी कंपनी का निदेशक होना किसी व्यक्ति को अधिनियम की धारा 141 के तहत उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। किसी कंपनी में एक निदेशक को उसके व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी और जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। धारा 141 की आवश्यकता यह है कि जिस व्यक्ति को उत्तरदायी बनाया जाना है वह प्रासंगिक समय पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार होना चाहिए। इसे इस तथ्य के रूप में माना जाना चाहिइ क्योंकि ऐसे मामलों में निदेशक का कोई दायित्व नहीं माना जाता है।

(3) प्रश्न (सी) का उत्तर स्वीकारात्मक होना चाहिए। प्रश्न में कहा गया है, प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक निश्चित रूप से कंपनी के प्रभारी होंगे और अपने व्यवसाय के प्रति जिम्मेदार होंगंे। जब ऐसा होता है, तो किसी कंपनी में ऐसे पदों के धारक अधिनियम की धारा 141 के तहत उत्तरदायी हो जाते हैं। प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में उनके पद के आधार पर, ये व्यक्ति कंपनी के

व्यवसाय के संचालन के प्रभारी और जिम्मेदार हैं। इसलिए, वे धारा 141 के अंतर्गत आच्छादित हो जाते है। जहां तक अनादरित हुए चेक के हस्ताक्षरकर्ता का सवाल है, वह स्पष्ट रूप से दोषी कृत्य के लिए जिम्मेदार है और धारा 141 की उप धारा (2) के तहत कवर किया जाएगा।''

6. चूंकि यह मामला तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष एक संदर्भ पर आया था, इसलिए पीठ ने तथ्यों पर चर्चा के लिए मामले को दो न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया। यह वह मामला था जिसकी खंडपीठ ने फिर से जांच की और एस.एम.एस. फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (2007) 4 एससीसी 70 के रूप में रिपोर्ट की और यह पाया कि शिकायत में आवश्यक कथन किये गये थे ताकि धारा 141 के प्रावधानों को आकर्षित किया जा सके। कंपनी के द्वारा की गयी अपील तदनुसार खारिज कर दी गयी। रंगाचारी के मामले (सुप्रा) में यह मामला एक बार फिर विचार के लिए आया और पैराग्राफ 21 में यह अवधारित किया गयाः

'' आम तौर पर किसी कंपनी के साथ व्यवसायिक या वाणिज्यिक लेन-देन करने वाला व्यक्ति, इसके प्रमोटरों और निदेशक मंडल और इसके व्यवसाय की प्रकृति और सीमा और इसके ज्ञापन या एसोसिएशन के लेखों को देखकर इसकी साख और विश्वसनीयता के बारे में खुद को संतुष्ट करेगा। इसके अलावा, हो सकता है कि उसे कंपनी की व्यवस्था के बारे में जानकारी न हो। इसलिए, जब कंपनी द्वारा उसे जारी किया गया चेक अनादरित हो जाता है, तो उससे केवल यह अपेक्षा की जाती है कि उसे केवल यह पता हो कि प्रभारी कौन है। कंपनी के मामलों के बारे में उससे जानना उचित नहीं है कि जिस व्यक्ति ने चेक पर हस्ताक्षर किये थे उसे ऐसा करने का निर्देश दिया

गया था या क्या उसने वास्तव में चेक पर हस्ताक्षर किये थे तो क्या उसे ऐसा करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ये विशेष रूप से कंपनी और उसके प्रभारी लोगों की जानकारी में आने वाले मामले हैं। इसलिए, अनादरित हुए चेक के भुगतानकर्ता से यह आरोप लगाने की उम्मीद की जा सकती है कि शिकायत में नामित व्यक्ति इसके मामलों के प्रभारी हैं। निदेशक प्रथम दृष्टया उस स्थिति में हैं।''

7. इस अनुच्छेद को पढ़ने से शिकायतकर्ता के पक्ष में अन्य निर्णयों की तुलना में थोडा विचलन/अंतर दिखाई देगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह निर्णय भी एस.एम.एस फार्मास्यूटिकल्स के दोनों निर्णयों का सारांश के विचार-विमर्श के आधार पर दिया गया था। यह मामला एक बार फिर एन.के. वाही केस (सुप्रा) के विचार में आया जिसने पहले के दृष्टिकोण को दोहराया और माना कि जहां शिकायत में निदेशकों द्वारा निभाई गई भूमिका के संबंध में कोई कोई स्पष्ट बयान या सबूत नहीं थे और क्या वे संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार थे। कंपनी के मामलों में, उनके खिलाफ अभियोजन चलाना संभव नहीं होगा और वे बरी होने के हकदार थे। हालांकि, यह देखा जा सकता है कि यह एक ऐसा मामला था जहां अन्वीक्षा के बाद बरी कर दिया गया था।

8. उपरोक्त उद्धृत निर्णयों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि पूरा मामला शिकायत में किये गये कथनों की प्रकृति की जांच तक सीमित हो जाएगा, हालांकि एन. रंगाचारी मामले (सुप्रा) में निर्णय में थोडा विचलन देखते हैं। इसी पृष्ठभूमि में शिकायत की जांच की जानी चाहिए। अनुच्छेद 2 और 8 नीचे पुनः प्रस्तुत किये गये हैः

''(2) मैं सभी आरोपियों को जानता हूं। आरोपी नंबर 1 कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी है। आरोपी नं. 2 आरोपी

नं. 1 का अध्यक्ष है। आरोपी नं. 3 संयुक्त प्रबंध निदेशक है आरोपी नं. 1 और आरोपी नं. 4,5 व आरोपी नं. 1 के निदेशक हैं।

(8) आरोपी नं. 2 आरोपी नं. 1 का अध्यक्ष है और वह आरोपी नं 1 के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए जिम्मेदार है तथा इसीलिए वह अस्वीकृत चेक की राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी है। आरोपी नं. 3 संयुक्त प्रबंध निदेशक होने के नाते और आरोपी नं. 4, 5 व 6 आरोपी नं. 1 के निदेशक होने के नाते आरोपी नं. 1 के जिम्मेदार अधिकारी हैं इसलिए वे अस्वीकृत चेक की राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी हैं। चूंकि आरोपी वैधानिक नोटिस प्राप्त होने के बाद 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए उन्होने यह अपराध किया है और यह परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (संशोधित) की धारा 138 आर/डब्ल्यू 141 के तहत दंडनीय अपराध है। इसलिए यह शिकायत इस माननीय न्यायालय के समक्ष दायर की गयी है।''

9. उपरोक्त परिच्छेदों के अवलोकन से पता चलता है कि आरोपी नं. 2 कंपनी के अध्यक्ष परेश राजदा हैं और उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले के अनुसार, कंपनी के व्यवसाय के लिए उनकी जिम्मेदारी के प्रश्न को गंभीरता से चुनौती नहीं दी गई है, फिर भी, हम दोनों आरोपियों/अपीलकर्ताओं के खिलाफ इस आशय के स्पष्ट आरोप पाते हैं वे अधिकारी थे और कंपनी के मामलों के लिए जिम्मेदार थे। हमारी राय है कि ऐसे चरण में जहां मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है, उपर उद्धृत इस न्यायालय की टिप्पणियों के आलोक में उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करना अनुचित होगा। तदनुसार, हम पुनर्विचार याचिका मेंं कोई योग्यता नहीं पाते हैं। अतः खारिज की जाती है।

याचिका खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सावित्री आनंद निर्भीक (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।